रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 121] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 1973/चैत्र 10, 1895

No. 121] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 1973/CHAITRA 10, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Internal Trade)

CIVIL SUPPLIES ORGANISATION

ORDER

New Delhi, the 31st March 1973

S.O. 188(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (xi) of clause (a) of section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby declares the following commodity to be an essential commodity for the purposes of the said Act, namely:—

Yarn made wholly or in part from any of the following materials, namely:—

(i) cotton;

(ii) wool;

(iii) man-made cellulosic spun fibre;

(iv) man-made non cellulosic spun fibre;

(v) silk.

[No. 26(5)CS-II/73.]

R. K TALWAR, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(आन्तरिक व्यापार विभाग)

सिविल आपूर्ति संगठन

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1973

का० आ० 188 (अ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (XI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करती है, अर्थात् :—

निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी से पूर्णतः या भागतः बना हुआ सूत, अर्थात् :—

(i) कपास;

(ii) ऊन ;

(iii) मानव-निर्मित सेलुलोजी से कता हुआ तन्तु ;

(iV) मानव-निर्मित सेलुलोजी-इतर से कता हुआ तन्तु ;

(V) रेशम ।

[सं० 26 (5) सि० आ०-II/73]

आर० के० तलवार संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS DELHI 1973